

श्रीपाठ-337 दिनांक - 20-6-2022

**भूमि स्वामित्व-सह ऋण बकाया राहत/साहेत बकाया पत्र**

मैं प्रमाणित करता हूँ कि निम्नलिखित संख्या नं० विस्तार चौहद्दी आदि सत्य है। आवेदनकर्ता इन प्लॉटों का स्वामी है, और किसी अन्य का इन पर कोई अधिकार नहीं है तथा भूमि कर के रूप में सरकार का कुछ भी बकाया नहीं है।

गाँव थाना जिला का नाम	तौजी	खाता नं०	प्लॉट नं०	विस्तार		सरकारी पुस्तक में भूमि किसके नाम है?	आवेदनकर्ता का नाम और उपयोग में है? क्या भूमि आवासीय वास्तविक और उपयोग में है?	इन क्षेत्रों का कर	आवेदक अनुसूचित जाति/जाति का है? यदि हाँ/नहीं तो विवरण दें कि वह सीमांत लघु कृषक की श्रेणी में आता है या नहीं।					
				ए०	डी०									
श्रीमा - डुकुरी थाना - जनोहरपुर जिला - पश्चिमी सिंधुभूम	87	64	53	0.17 ए०	सर्वोच्च न्यायाधीश के आदेशों के अन्तर्गत आवेदनकर्ता के नाम पर है।	सभी आवेदक हैं, सभी आवासीय संयुक्त रूप से	0.33 रु०	नहीं।						
			54	0.22 ए०										
			55	0.29 ए०										
			57	0.09 ए०										
			58	0.69 ए०										
		59	0.04 ए०											
									0.93 ए०					
									65	56	0.05 ए०			
									60	0.68 ए०				
									63	3.58 ए०		2.91 रु०		
									64	2.86 ए०				
									कुल स्क्वा - 8.10 ए०			कुल - 3.24 रु०		

राजस्थान उप निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन संलग्न है।

प्रयोजन कार्यपालक पदाधिकारी

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी

अचल अधिकारी  
मिर्जाहरपुर  
16/6/2022

नोट :- यदि आवेदन पत्र तथा भूमि से संबंधित दस्तावेजों को नहीं प्रस्तुत करता है तो ऋण के आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। भूमि के ऊपर आवेदनकर्ता के स्वामित्व की पूरी जाँच की जायेगी।

ग्राम डुकुरी का ऋण आवेदन-पत्र अनुशंसा सहित अग्रसारित किया जाता है। हमारी जानकारी के अनुसार इनके एवं इनके परिवार के सदस्यों पर प्रखण्ड सहकारिता समिति/तकाबी ऋण का रु० बकाया है/नहीं है। इनका ऋण आवेदन-पत्र किसी अन्य वित्त संस्था/भूमि विकास बैंक में नहीं भेजी गया है।

राजप्रती देवी  
व. पं. राज कुमा  
अकलवाड़ी देवी  
व. पं. राज कुमा

राजप्रती देवी  
व. पं. राज कुमा  
R.K. Choudhary